

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
(डॉ. सूरज सिंह नेगी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक  
निर्णय दिनांक

07 / 2023  
15.06.2023  
21.08.2023

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक जिला टोंक

..... सायल

बनाम

मनराज पुत्र प्रेमलाल उर्फ प्रेमराज मीना निवासी पचाला थाना अलीगढ जिला टोंक

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-1-अभियोजन अधिकारी, राजकीय परोकार

2-गैर सायल एवं उनके अभिभाषक श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा उप.।

निर्णय

दिनांक 21.08.2023

पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल मनराज पुत्र प्रेमलाल उर्फ प्रेमराज मीना निवासी पचाला थाना अलीगढ जिला टोंक के विरुद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृति में लीन है, अतः गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल उनके अभिभाषक श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा के साथ उपस्थित हुआ। गैर सायल व उनके अभिभाषक को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया। अभिभाषक गैर सायल द्वारा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार किया गया। अभियोजन अधिकारी एवं अभिभाषक गैर सायल की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए हैं। गवाहान जो प्रेशिक्वूशन ने प्रस्तुत किये हैं उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरुद्ध अभियोग कमशः 69/22 दिनांक 07.04.2022 थाना अलीगढ, 99/22 दिनांक 16.05.2022 थाना अलीगढ, 167/22 दिनांक 25.09.2022 थाना अलीगढ धारा 13 RPO में दर्ज होकर चारों प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये



क  
बहिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

गये। अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल काफी समय से गलत संगत में पड़कर जुआ खेलने लग गया व बदमाश व्यक्तियों की संगत में आने के कारण आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लग गया है। गैर सायल की इन अपराधिक गतिविधियों से समाज के लोगों पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। गैर सायल की आम शोहरत खराब है, लोग इससे भयभीत रहते हैं। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल का स्वतंत्र रहकर घूमना आम जीवन के लिए एवं शांति व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से खतरा बन गया है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किये जाने के आदेश फरमावें।

गैर सायल के अभिभाषक ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणों में आरोप लगाये गये हैं वह केवल धारा 13 RPGO के हैं न कि किसी बड़े अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के हैं तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में प्रार्थी मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणों का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। गैर सायल ने निवेदन किया कि वर्तमान में वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। इस संबंध में गैर सायल ने शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गैर सायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे में जिन प्रकरणों को आधार बनाया गया है, वे गत वर्ष के हैं तथा सभी प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है व वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। गैर सायल पर अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी जैसे किसी भी बड़े अपराध का आरोप नहीं है। गैर सायल वर्तमान में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। गैर सायल द्वारा इस बात का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। अतः गैर सायल का स्वतंत्र रहकर घूमना किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था के लिए खतरा प्रतीत नहीं होता है।

फलतः पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जाता है। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।  
निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(~~जॉ. समज. सिंह. देवी~~)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
टोंक